क्रम संख्या–69 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 14 जुलाई, 2025 ई0

आषाढ़ 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

ई0पत्रा0 सं0–74929

संख्या– 313796/2025/XXVII(9)/स्टाम्प–82/2009

देहरादून, 14 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–47

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में स्थित जनपदों के अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन मैनुअल उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 178 में निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

नियम	विद्यमान नियम	एतत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
178	प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रार का कार्यालय केन्द्रीय अभिलेखागार होगा और उसके अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे रजिस्टर जिन्हें शाश्वतकाल तक सुरक्षित रखा जाना हो, इस अभिलेखागार को समय– समय पर भेजे जावेंगे।	राज्य में स्थित जनपदों के निबंधन कार्यालयों के शाश्वत काल तक सुरक्षित रखे जाने वाले अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु निम्नवत् तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित केन्द्रीय अभिलेखागार में स्तम्भ–2 में उल्लिखित जनपदों के अभिलेख अनुरक्षित किये जायेंगे:–

केन्द्रीय अभिलेखागार का जनपद	जनपद का नाम
01	02
देहरादून	देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी
हरिद्वार	हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग
ऊधमसिंहनगर	ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, पिथौरागढ़
नैनीताल	नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर

2– उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

आज्ञा से,
दिलीप जावलकर,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **313796/2025/XXVII(9)/Stamp-82/2009/E-74929**, dated July 14, 2025 for general information:

No. 313796/2025/XXVII(9)/Stamp-82/2009/E-74929,
Dated Dehradun, July 14, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as amended from time to time) (Uttar Pradesh Act No. 1 of 1904), the Governor is pleased to allow to make the following amendment in Rule 178 of the Registration Manual Uttar Pradesh (as applicable in state of Uttarakhand) for maintenance of records of districts situated in the State: -

Rule	Existing Rule	here by Substituted Rule	
178	The District Registrar's office shall be a central office of record for each district, and the registers of his own and those of subordinate offices, which are to be preserved in perpetuity, shall be transferred to it from time to time.	For maintenance of records of the registration offices of the districts situated in the State, to be kept safe for perpetuity the records of the districts mentioned in column-2 will be maintained in the Central Archives (office of record) mentioned in column-1 of the following table:-	
		District of the Central Archives (office of record)	**Name of District**
		01	02
		Dehradun	Dehradun, Tehri, Uttarkashi

		Haridwar	Haridwar, Pauri, Chamoli, Rudraprayag
		Udham Singh Nagar	Udham Singh Nagar, Champawat, Pithoragarh
		Nainital	Nainital, Almora, Bageshwar

2- The said notification shall come into force with immediate effect.

By Order,

DILIP JAWALKAR,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43/वित्त/329–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।